भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1199
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

कुरमाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना

1199. श्री समीरुल इस्लाम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने कुरमाली और राजबंशी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा की है;

(ख) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने को जाँचने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है या उससे परामर्श किया है; और

(घ) पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार राज्यों में फैली कुरमाली और राजबंशी भाषी आबादी की इस लंबे समय में लंबित मांग पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ) : 'कुरमाली और राजबंशी' सहित, समय-समय पर संविधान की आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने की मांग उठती रही है। हालाँकि, किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं है। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1199, दिनांक 10/12/2025

आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबन्धित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है। चूंकि किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड वर्तमान में निर्धारित नहीं है, इसलिए संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

***